International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 01(I), January - March, 2023, pp. 147-153

एक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्यः परिवार के बदलते पैटर्न और महिलाओं की भूमिका में शामिल गतिशीलता

अशोक कुमार*
डॉ. प्रताप पिंजानी**

सार

भारत में पारिवारिक अध्ययन का क्षेत्र साखकर 1990 के बाद से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हुए महत्वपूर्ण बदलावों के कारण काफी हद तक विकसित हो गया है। इससे संस्थाओं की संरचना और कार्यप्रणाली में निर्णायक बदलाव आता है और वैवाहिक एवं पारिवारिक संस्था भी इसका अपवाद नहीं है। पिता या माता द्वारा वंशानुसार परिवारों को पितृसतात्मक और मातृसतात्मक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। भारत में अधिकांश परिवार प्रकृति में पितृसतात्मक हैं। पारिवारिक संरचना की अवधारणा परिवार में भूमिका, शक्ति और स्थिति और संबंधों के विन्यास के रूप में की जाती है जो परिवारों की सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि, पारिवारिक पैटर्न और शहरीकरण की सीमा पर निर्भर करती है। विवाह पद्धतियों, विवाह के लिए साथी का चयन, विवाह के समय आयु, विवाह संपन्न होने की आयु, विवाह के रस्में, वित्तीय आदान–प्रदान और तलाक जैसे विषयों को शामिल करते हुए विवाह प्रथाओं पर बल दिया जाता है। समकालीन भारतीय समाज में, पारिवारिक संस्था लोगों के जीवन में क्रेन्द्रीय भूमिका निभाती रही है। वर्तमान शोध अध्ययन में परिवारों के बदलते स्वरूप और महिलाओं की भूमिका में आए परिवर्तनों को समझने का प्रयास किया गया है।

शब्दकोशः *परिवार, विवाह, सुधार, पैटर्न में बदलाव।*

प्रस्तावना

हाल के दशकों में पारिवारिक अध्ययन विकसित हुए हैं। भारत में पारिवारिक अध्ययन को समाज विशेष के संस्थागत ढाँचे के के अन्तर्गत देखा जाता है। प्रत्येक समाज में, पारिवारिक अंतः क्रिया पैटर्न और बाह्य शक्तियों के कारण मानदंडों को स्वीकार करने के लिए परिवार समायोजन की अपनी सीमा में भिन्न होते है।

पारंपरिक हिन्दू दृष्टिकोण के अनुसार, विवाह एक संस्कार हे। औपचारिक शिक्षा, शहरीकरण और औद्योगीकरण द्वारा प्रस्तुत आधुनिक रूझानों के प्रभाव की जांच करने के प्रयास में कई अध्ययन किए गए है।

शादी के उम्र, अंतरजातीय विवाह, अरेंज्ड बनाम लव मैच, कुंडली मिलान जैसे क्षेत्रों में बदलते पैटर्न देखे जा रहे हैं। भारत में अंतधार्मिक विवाह होते है और ऐसे विवाहों के समर्थन के लिए एक विशेष कानून है। हालांकि, इनकी संख्या बेहद कम है।

---

* शोधार्थी एवं सह आचार्य, समाजशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान।
** शोध निर्देशक एवं सह आचार्य, समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय, अजमेर, राजस्थान।

अधिकांश लोगों के लिए, विवाह हमेशा किसी धार्मिक समूह के भीतर होता है, और इसलिए परिवार भी उसी के भीतर प्रबल होता है। ये धार्मिक समूह इस शताब्दी के बाद से कानूनी रूप विकासित हुए हैं और कुछ संवैधानिक, संस्थाओं के रूप में भी हैं और इनमें से प्रत्येक में विवाह और पारिवारिक प्रकृति हेतु महत्वपूर्ण परिणाम मिले है।

यद्यपि संविधान में निर्धारित राज्य नीति के निर्देशाक सिद्धांतों मे से एक यह निर्धारित करता है कि राज्य पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, फिर भी सभी धार्मिक समूहों के लिए परिवार और विवाह का कोई समान कानून नहीं है।

विशाल सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता होने से प्रत्येक धार्मिक समूह के भीतर कानून और प्रथा के बीच अंतर है। उच्च शिक्षित शहरी समुदायों और जातियों के बीच भी साथ चयन पैटर्न बुजुर्गों और माता–पिता द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, हालांकि यहां भी क्रमिक परिवर्तन देखा जाता है।

भारत में पितृसत्तात्मक झुकाव के साथ एक समृद्ध पारिवारिक संरचना है, जो रिश्तेदारी समूहो के साथ जीवन को बनाये रखने के लिए परिवार के सदस्यों की सहायक रही है। पहले अधिकतर संयुक्त परिवार पाए जाते थे जहाँ परिवार के सदस्य एक ही छत के नीचे एक साथ रहते थें। वे सभी परस्पर कार्य करते है, खाते हैं पूजा करते है और किसी न किसी रूप में एक–दूसरें का सहयोग करते है। इससे परिवार को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से मजबूत होने में भी मदद मिलती है।

बच्चों का सामाजीकरण किया जाता है और समुदाय के मूल्यों और परंपराओं के बारे में जाना जाता है और परिवार के अन्य बड़े सदस्यों, उनके दादा–दादी और बुजुर्गों से समाज की समझ विकसित होती है। परिवार प्रणाली को भारत मे बहुत अधिक महत्व दिया गया है और परिवारों के बीच सम्बंधो को मजबूत बनाने के लिए अधिक बार काम किया है।

इस बीच, शहरीकरण और पश्चिमीकरण का भारतीय परिवार के मूल संरचना पर प्रभाव पड़ा। सयुक्त परिवार का छोटी इकाइयों में विभाजन इस पांरपरिक ढांचे को अस्वीकार करने वाले लोगों का प्रतीक नहीं है। परिस्थितियों ने भी लोगों को परिवार को विभाजित करने की आवश्यकता को जन्म दिया।

भारत में परिवार को अक्सर मजबूत प्रतिरक्षी तंत्र के साथ एक आदर्श सजातीय इकाई के रूप में समझा जाता है। यह बड़ी सामाजिक व्यवस्थाओं की एक बुनियादी, एकजुट और अभिन्न इकाई है। इसके अलावा, भारत जैसे एक बड़े और सांस्कृति रूप से विविध देश मे परिवारों के रूपों की बहुलता है जो वर्ग, जातीयता और व्यक्तिगत पंसद के साथ बदलती है। इसके सदस्य सामाजिक संबन्धों के व्यापक नेटवर्क में पारस्पारिक संबंधों से बंधे होते है। इसे निंरतरता और परिवर्तन के बीच की कड़ी माना जाता है।

एक सामाजिक संस्था के रूप में परिवार परिवर्तन के दौर से गुजर रहा हे। इसकी संरचना और कार्यो दोनो में परिवर्तन हुए है। भारत में कई पारम्परिक समाजों की तरह, परिवार न केवल सामाजिक और आर्थिक जीवन का केन्द्र रहा है, बल्कि परिवार के सदस्यों के सहारे का प्राथमिक स्त्रोत भी रहा है। अर्थव्यवस्था के बढ़ते व्यावसायीकरण और आधुनिक राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास से 20वीं सदी में भारत में परिवार की संरचना में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है। विशेषक, पिछले कुछ दशकों में पारिवारिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं।

पिछले दशक के दौरान, धीरे–धीरे एकत्रित होने वाले रूझान घरेलू संरचना और महिला श्रम बल की भागीदारी के नए पैटर्न में स्पष्ट से उभरे हे। पारंपरिक परिवारों के साथ–साथ, कई प्रकार के वैकल्पिक घरेलू रूप उभरे हैं। वैतनिक श्रम बल में महिलाओं की स्थिति में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये घटनाक्रम आपस में जुड़े हुए हैं, लंबी अवधि की जड़ें हैं, और भविष्य में भी इनके बने रहने का अनुमान है।

सबसे महत्वूपर्ण, वे सामाजिक नीति के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं, जिसमें अक्सर पूर्णकालिक मातृत्व का मानदंड ग्रहण कर लिया है। परिणामी समस्याओं को कम करने के लिए, योजनाकारों को वैकप्तिक घरेलू, रूपों के विकास को पहचानना चाहिए और कार्यसील और घर में लैंगिक असमानता की मूल समस्रा को कम करने के लिए नीतियां तैयार करनी चाहिए।

भारत की प्रजनन दर गिर गई है, और जोड़े बाद की उम्र में बच्चे पैदा करने लगे हैं। इसी मसय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, जिसके परिणामस्वरूप अधिक बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें देखभाल की आवश्यकता है। ये सभी परिवर्तन हो रहे है, जो बच्चों को बड़ों से अलग कर रहे है और परिवार आधारित संबल प्रणालियों के विद्यटन में योगदान दे रहे हैं।

साहित्य समीक्षा

अलोन, डोपके, ओल्मस्टेड–रूम्सी और टर्टिल्स (2020) के इंगित किया कि रेस्तरां जैसे व्यवसाय में संलग्न होने के कारण महिलाओं की तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक नौकरी के अनुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, स्कूलो के बंद होने के कारण उनके बच्चों की जरूरतों में अत्यधिक वृद्धि हुई हैं इन कारकों ने भुगतान श्रम में गिरावट और अवैतनिक देखभाल श्रम में वृद्धि को जन्म दिया। यह निष्कर्ष निकाला गया है कि महामारी के नेतृत्व वाली मंदी पुरूषों और महिलाओं के बीच वेतन में अंतर को और विस्तृत करेगी।

जयचंन्द्रन (2020) ने तर्क दिया कि किसी देश के आर्थिक विकास के लिए श्रम बल मे महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। दुख की बात है कि प्रचलित सामाजिक–सांस्कृतिक मानदंड वैतनिक नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी में बाधक हैं। इससे पारिवारिक संबंधें और समाज में बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

बिंटन और ओ (2019) ने एशिया में शिक्षित महिलाओं के रोजगार और प्रजनन क्षमता के बारे में एक अध्ययन किया। यह सामने आया कि उच्च शिक्षात महिलाओं के जीवन भर निरंतर रोजगार के साथ बच्चों के पालन पोषण की संभावना बढ़ गई है। इसके अलावा, शिक्षित महिलाओं की प्रजनन दर तुलनात्मक रूप से कम है।

आनंद (2018), चौधरी और पटनायक (2013) ने उल्लेखित किया है कि महिलाओं के लिए विरासत कानूनों में बदलाव, बाल विवाह का उन्मूलन, विधवा पुनर्विवाह का वैधीकरण, विवाह, गोद लेने और रखरखाव के लिए न्यूनतम आयु को निर्दिष्ट और वैध बनाना, घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार से संबंधि कानून अंतरंग साथ द्वारा, बुजुगों के लिए संपति से संबंधित अधिकार, इत्यादि ने भारतीय परिवारों को कई तरह से प्रभावित किया है।

एन्यू और मिहेते (2018) ने उदारवादी नारीवादी सिद्धान्त पर जोर दिया उपलब्धियों, इच्छाओं और लक्ष्यों के मामले में पुरूषों और महिलाओं के बीच समानता का दावा करता है। सिद्धान्त स्वतंत्रता और समान अवसर के मूल्यों पर आधारित है। वे महिलाओं को शिक्षा, आर्थिक भागीदारी और आर्थिक विकास में समान योगदान के समान अवसर प्रदान करने के लिए पितृसतात्मक मानसिकता और प्रचलित प्रणाली को दूर करने पर जोर देते हैं।

एंक्सो एट अल (2011) ने बताया कि महिलाओं के आर्थिक संशक्तिकरण के कारण, परिवारों की बढ़ती संख्या पारिवारिक स्तर पर जिम्मेदारियों के सकारात्मक और संतुलित विभाजन का अनुभव कर रही है। हालांकि, यह परिवर्तन अभी भी एक प्रांरभिक चरण में है और लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसी की वास्तविक क्षमता का उपयोग करने के आवश्यकता है।

परिवार के बदलते प्रतिमान और महिलाओं की भूमिकाः प्रेरक शक्तियाँ

भारत में परिवार तलाक और अलगाव दर में वृद्धि, घरेलू हिंसा, अंतर–पीढ़ी संघर्ष, नशीली दवाओं के दुरूप्योग की सामाजिक समस्याए, किशोर अपराध आदि जेसे बड़े बदलावें से गुजर रहे हैं। ये परिवर्तन आधुनिक जीवन के दबावों का सामना करने के असर्मर्थता का संकेत देते है।। फिर भी बहुसंख्यक बच गए है और बदलते सामाजिक मानदंडो, मूल्यों और संरचनाओं को संशोधित, समायोजित और अनुकूलित करने में सक्षम है, और बढ़ते तनाव के बावजूद एक साथ रखने में एक अनूठी शक्ति का प्रदश्नन किया है।

परिवार को मोटे तौर पर दो यो दो से अधिक व्यक्तिओं की एक इकाई के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो विवाह, रक्त, गोद लेने या आम तौर पर एक ही परिवार से परामर्श करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और संवाद करने के लिए आम तौर पर एकजूट होते है। (देसाई 1994)। प्राचीन काल से ही परिवार, जाति और समुदाय भारतीय समाज की संपूर्ण बनावट पर हावी रहे हैं। परिवार व्यक्ति के जीवन और समुदाय के जीवन दोनों में एक प्रमुख संस्था रही है। भारत में पिछले कुछ दशकों में परिवार पर किए गए शोध अध्ययनों ने पारिवारिक जीवन के विभिन्न आयामों (यानी, कई रूपों, संरचना, आकार बदलते कार्यों और व्यक्तिगत भूमिकाओं) पर ध्यान केन्द्रित किया है।

भारत में विभिन्न धर्मों से संबंधित परिवारों के लिए अलग–अलग व्यक्तिगत कानून है और इसलिए नागरिक जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू के लक्ष्यों पर सहमति नहीं है। हिन्दू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, यहूदी और पारसी, प्रत्येक समुदाय का अपना निजी कानून है जो व्यक्तिगत संबंधों और पारिवारिक प्रथाओं जैसे विवाह और तलाक, गोद लेने, रखरखाव, बच्चों की हिरासत और हिरासत और विरासत और उतराधिकार के मामलों को कवर करता है।

चूंकि ये कानून संबंधित धार्मिक मानदंडों से आकर्षित होते है, वे अक्सर पारंपरिक पितृसतात्मक मानदंडों को बनाए रखते हैं और सुधारों की प्रक्रिया को धीमा करते है।

अधिकांश हिन्दू जातियां पितृसतात्मक परिवार प्रणाली का नुसरण कती हैं, हालांकि दक्षिण पश्चिमी राज्य केरल में नायर और कुछ अन्य जातियां पारंपरिक रूप से मातृसतात्मक परिवार प्रणाली का अनुसरण करती हैं। इसी तरह, उत्तर–पूर्वी भारत में गारों और खासी जानजातियाँ मातृसतात्मक हैं, हालांकि उनकी मातृवंशीयता कुछ मायनों में नायरों से भिन्न है।

नारीवादी, पारंपरिक एवं विषमलैंगिक विवाह को महिलाओं के लिए दमनकारी मानते हैं, और विवाह की घटती दरों और बाद के जीवन में विवाह को अनुकूल रूप से देखते है। उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांतकार और व्यक्तिगत जीवन के समाजशास्त्री भी इन घटनाओं को समारात्मक रूप से देखते हैं, यह मानते हुए कि विवाह और रूमानी पत्नीक संबंध सब कुछ नहीं है। और लोगों की जीवन में अन्य आकांक्षाऐं हैं।

हालांकि कार्यतमकवादी, विवाह एवं एकल परिवार को समाज के आवश्यक निर्माण खंडों के रूप में देखते हैं, और तर्क देते है कि विवाह में बदलते रूझान सामाजिक और नैतिक पतन का कारण बन रहे हैं।

- **संवैधानिक स्थिति और विधायी सुधार**

हालांकि संविधान अनुच्छेद 44 में कहा गया गया है राज्य भारत में पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरखित करने का प्रयास करेगा। (पाइली, 1979 पृष्ठ 471) धर्मनिरपेक्ष पारिवारिक कानूनों को लागू करने का प्रयास जो पारिवारिक प्रथाओं पर लागू होता है, सभी भारतीय निरपवाद रूप से लंबी बहस से गुजरते हैं। सफल होने वाले कुछ प्रयासों ने बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929: गर्भावस्था का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1972 विशेष विवाह अधिनियम, 1974: दहेज निषेध अधिनियम, 1961 और आपराधिक प्रक्रिम संहिता और भारतीय दंड संहिता में किए गए प्रावधान जैसे धर्मनिरपेक्ष पारिवारिक कानूनों को जन्म दिया है।

हालांकि संविधान के अनुच्छेद 44 में कहा गया गया कि राज्य हालांकि इन कानूनों की व्याख्या और कार्यान्वयन वांछित होने के लिए बहुत कुछ छोड़ देता है ''इस प्रकार परिवार और उसके सदस्यों के लिए असंख्य नीतियां मौजूद हैं। हालांकि, पारिवार के आकार, पारिवारिक कानूनों, आवास, बच्चों, युवाओं आदि के लिए अलग–अलग नीतियों के स्वतंत्र उद्देश्य हैं।

परिवार के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ एक समग्र परिवार नीति के अभाव में, ये नीतियां कभी–कभी विरोधाभासी और नकारात्मक परिणामों के साथ परिवार को विविध तरीकों से प्रभावित करती हैं।

- **विवाह एवं तलाक**

पारंपरिक हिन्दू दृष्टिकोण के अनुसार विवाह एक संस्कार हैं। औपचारिक शिक्षा, शहरीकण और औद्योगिकरण द्वारा प्रस्तुत आधुनिक प्रवृतियों के प्रभाव की जांच के प्रयास में कई अध्ययन किए गए हैं। शादी की उम्र, अंतरजातीय विवाह, अरेज्ड बनाम लव मैच, कुंडली मिलान जैसे क्षेत्रों में बदलते पैटर्न देखे जा रहे हैं।

भारत में अंतर–धार्मिक विवाह होते है और ऐसे विवाहों का समर्थन करने के लिए एक विशेष कानून है। हालांकि, इनकी संख्या बेहद कम है। अधिकांश लोगों के लिए, विवाह हमेशा किसी धार्मिक समूह के भीतर होता है, और इसलिए परिवार भी उसी के भीतर प्रबल होता है। ये धार्मिक समूह इस शताब्दी के बाद से कानूनी रूप से विकसित हुए है, और कुछ संवैधानिक, संस्थाओं के रूप में भी है, और इनमें से प्रतयेक में विवाह और परिवार की प्रकृति के लिए इसका महत्वपूर्ण परिणाम है।

यद्यपि संविधान में निर्धारित राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों में से एक यह निर्धारित करता है कि राज्य पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, फिर भी सभी धार्मिक समूहों के लिए परिवार और विवाह का कोई समान कानून नहीं है। विशाल सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता है, इसलिए प्रत्येक धार्मिक समूह के भीतर कानून और प्रथा के बीच अंतर है। उच्च शिक्षित शहरी समुदायों और जातियों के बीच भी प्रमुख साथी चयन पैटर्न बुजुर्गों और माता पिता द्वारा व्यवस्थित किया जाता है, हालांकि यहां भी क्रमिक परिवर्तन देखा जाता है।

बढ़ते हुए व्यक्तिवाद और लोगों को खुशी प्राप्त करने की अधिक स्वतंत्रता के कारण अब आम हो गया है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत में तलाक की दर अपेक्षाकृत कम है। हालांकि, अलगाव की दर तलाक की दर से तीन गुना अधिक है। (डोमराजू, 2016) भारत में तलाक को लंबे समय से विरत करा गया हे, लेकिन 1970 के दशक के बाद से इसकी घटनाओं में वृद्धि हुई है। चूंकि विवह और तलाक सांस्कृतिक और धर्मिक फरमानों के साथ सख्ती से शासित होते हैं, राज्यों में प्रमुख्य क्षेत्रीय विविधताएं है, उत्तर की तुलना में दक्षिण और उत्तर–पूर्व क्षेत्रों में तलाक काफी अधिक हैं।

विवाह की उम्र में लगातार देरी और तलाक की बढ़ती दर के कारण, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, भारतीय समाज में परिवार के स्वरूप में बड़े बदलाव आ रहे हैं। महिलाओं की भूमिका में काफी बदलाव आया हे, जहां वे पुरूष सदस्य की समर्थक के बजाय बराबर की भागीदार बनकर उभर रही हैं।

- **प्रसव के बदलते प्रतिमान**

विवाह की कम दर और तलाक की उच्च दर परिवार से संबंधित हमारी प्राथमिकताओं और जीवन शैली में मूलभूत परिवर्तन की ओर इशारा करती है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू बच्चे पैदा करने के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव रहा है।

- **एकल पितृत्व के बदलते प्रतिमान**

एकल–पितृत्व के विपरीत, एकाकी माता–'पिता को एकल परिवार के टूटने से उत्पन्न होने वाले आश्रित बच्चों के साथ एक–अभिभावक परिवार के रूप में परिभाषित किया गया है। यद्यपि एकल पिता परिवार बढ़ रहे हैं, अधिकांश एकल–माता पिता परिवारों में एकल माताएं और बच्चे शामिल हैं। नए अधिकार इसके खिलाफ है। सामाजिक वर्ग की पृष्ठभूमि एकाकी माता–पिता और उनके बच्चों दोनों के अनुभवों को बहुत अधिक प्रभावित कर सकती है। एकल–माता–पिता परिवारों के आम तौर पर कामकाजी वर्ग की पृष्ठभूमि से आने की संभावना होती है।

- **व्यक्तिवाद और परिवाद प्रतिमान**

लोग अब अपने लिए सही चुनाव करने पर अधिक ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं, जिसमें सही साथ ढूंढना, कब और क्या शादी करना और संतान पैदा करना है, क्या वे गतिशून्य विवाह में रहना चाहते हैं, साथ रहना चाहते है या अलग रहना, आदि शामिल हैं। धार्मिक आदेशों के घटते प्रभाव का मतलब है कि लोग शादी करने के लिए कम मजबूर महसूस करते है या बहुत सारे (या कोई) बच्चे है। विवाह की तरह, बच्चे पैदा करना अब एक महिला के प्राथमिक उद्देश्य के रूप में नहीं देखा जाता है और महिलाएं मां नहीं बनना चुन सकती है।

साथ ही, यौन–क्रया और यौन संबंधों को अब प्रजनन के बाहर महत्व दिया जाता है। प्रभावी, सुरक्षित और सुलभ गर्भनिरोधक और गर्भपात की व्यापकता का मतलब है कि अवांछित गर्भधारण कम है। लोग अपने परिवारों के आकार की योजना बना सकते हैं, जिससे बच्चे के जन्म की दर घट सकती है।

- **लैंगिक भूमिकाओं में परिवर्तन, महिलाओं के लिए अवसरों में वृद्धि और पारिवारिक प्रतिमान**

आधुनिक समय में, महिलाए बेहतर शिक्षित, अधिक आर्थिक रूप से स्वतंत्र और अधिक करियर केन्द्रित है। इसका अर्थ यह है कि उन्हें अब सामाजिक और वित्तीय सुरक्षा के लिए शादी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है और वे जीवन में बिना संतान, कम बच्चे या बाद में माता–पिता बनने का विकल्प चुन सकते है।

उच्च और तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी, श्रम शक्ति की भागीदारी में वृद्धि, पुरूषों द्वारा घरेलू जिम्मेदारियों को साझा करने आदि के परिणामस्वरूप लैंगिक भूमिकाएं बदल रही हैं (धारा 2016 कश्यप और अन्य 2015 ओलाह और अन्य 2018)।

निष्कर्ष

परिवार को समाज की एक बुनियादी इकाई के रूप में मान्यता दी गई है। यह व्यक्ति और समुदाय के बीच एक कड़ी है। परिवार की संरचना अभी भी पितृसतात्मक है। शादी के पैदर्न में कई बदलाव देखे गए हैं। जैसे शादी की उम्र, अंतरजातीय विवाह आदि। शहरी क्षेत्रों में तलाक के मामलों में सापेहिक्षक वृद्धि देखी गई है। अतीत में यह काफी सामन्य था लेकिन उस मसय परिवार अधिक स्थिर थे और शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक जरूरतों के मामले में पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करते थे।

वर्तमान प्रवृतियों से पता चलता है कि परिवार की मूल व्यवस्था में निश्चित् रूप से परिवर्तन आया हे, विशेषकर बड़ों की भूमिका और पति पत्नी के संबंधों में वैमनस्य। तलाक की दर पति पत्नी के रिश्ते की बढ़ती नाजुकता का प्रमाण है। प्रवासन का महिलाओं और बच्चों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हालांकि कई सेट अप मे बच्चे, महिलाऐं और बुजुर्ग विभिन्न अध्ययनों के विषय रहे है, लेकिन कुल मिलाकर परिवार की जांच बहुत सीमित है।

ऐसा प्रतीत होता है कि भारत में अनुप्रयुक्त पारिवारिक शोध की समान्य कमी है। इस प्रकार यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि क्या इन अध्ययनों को प्रकृति में लागू माना जा सकता हे – अनुप्रयुक्त अनुसंधान अवधारणाओं के बजाय परिणाम की ओर उन्मुख होता है, और यह उपयोगिता और अनुप्रयोग के आधार पर शुरू होता है। इसलिए सभी अनुसंधान प्रयासों को एक छत के नीचे लाने की आवश्यकता है, जो परिवार के विशिष्ट पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करते हैं, जिसका उद्देश्य परिवार की प्रथाओं और परिवार नीति के विकास को प्रभावित करना है।

अंत में इस बात पर जोर दिया जाता है कि विवाह में देरी करना, बच्चों की योजना बनाना, नौकरी करना और परविारों का मुखिया बनना, महिलाओं की विवाह, परिवार और खुद से संबंधित होने के तरीके में बदलाव का संकेत देता है। महिलाएं अब अपने माता पिता की परंपरागत पारिवारिक भूमिका को स्वीकार अपेक्षा नहीं करती है।

विवाह और मातृत्व महिलाओं के जीवन का हिस्सा का हिस्सा बने हुए हैं, लेकिन महिलाएं अपनी पहचान को छोड़े बिना पारिवारिक भूमिकाओं का पुनर्निर्माण कर रही है। वे स्वयत्तता की भावना विकसित कर रही है और अब आंख बंद पारंपरिक प्रतिमानों और सस्थाओं के प्रति समर्पित नहीं हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. अलोन, टी., डोपके, एम., ओल्मस्टेड–रूम्सी, जे., और टर्टिल्ट,एम. (2020) लैंगिक समानता पर कोरोनोवायरस महामारी का प्रभाव। कोविड इकोनॉमिक्स वेटेड एंड रियल– टाइम पेपर्स, 4,62,85.
2. आनंद, पी (2018) भारत मे परिवार कानूनः सिंहावलोकन। थॉमसन रॉयटर्स व्यावहारिक कानून। https://uk.paracticallaw.thomsonreuters.com/6-5815985?transitionType= डिफॉल्ट और संदर्भ डेटा = (sc. Default)– firstpage=true&comp=pluk&bhcp=1
3. एंक्सो, डी., मेनकारिनी,एल., पैहले,ए., सोलाज, ए., तंतुर्री, एम.एल., और फ्लड, एल (2011) जीवना– पाठ्यक्रम में समय–उपयोग में लिंग अंतर। फ्रांस, इटली, स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका का तुलनात्मक विश्लेषण। नारीवादी अर्थशास्त्री, 17 (3),159–195.
4. ब्रिंटन, एस.सी, और ओह, ई. (2019) बच्चे, काम, या दोनों? पूर्वी एशिया में उच्च शिक्षित महिलाओं का रोजगार और प्रजनन क्षमता। अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी, 125 (1), 105–140.
5. चौधरी ए, पटनायक एम.एम. (2013) अंडरस्टैंडिंग इंडियन फैमिली लाइफः द जेंडर पर्सपक्टिव्स। एक्सेल इंटरनेशनल जर्नल ऑफ मल्टीडिसिप्लिनरी मैनेजमेंट स्टडीज, 3(7), 58–67.
6. डोमराराजू, पी. (2016) भारत में तलाक और अलगाव जनसंख्या और विकास समीक्षा, 42, 195–223.

7. डोमराराजू, पी. (2016) भारत में वृद्धावस्था पर दृष्टिकोण। गिलमोटा सीजेड, जोन्स जीडब्ल्यू (एड्स) में, चीन,भारत और इंडोनेशिया मे समकालीन जनसांख्यिकीय परिवर्तन (पीपी। 293–308)। स्प्रिंगर।

8. एन्यू, बी.ई., मिहेते, ए.जी. (2018) उदार नारीवादः इथियोपिया के संदर्भ में इसकी अनुकुलता और प्रयोज्यता का आकलन। समाजशास्त्र और नृविज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 10(6),59–64.

9. घारा, टी.के. (2016) उच्च शिक्षा में भारतीय महिलाओं की स्थिति जर्नल ऑफ एजुकेशन एंड प्रैक्टिस, 7(37), 58–64.

10. जयचंद्रन, एस. (2020). विकासशील देशों में महिलाओं के रोजगार में बाधा के रूप में सामाजिक मानदंड।

11. कश्यप, आर., एस्टेव ए., गार्सिया– रोमन जे. (2015) संभावित (मिस) मैच? भारत में सामाजिक–जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बीच विवाह बाजार, 2005–2050। जनसांख्यिकी, 52(1), 183–208.

12. ओलाह एल. एम., कोटोव्स्का आई.ई., रिक्टर आर. (2018) पुरूषों और महिलाओं की नई भूमिकाएँ और परिवारों और समाजों के लिए निहितार्थ। डोब्लहैमर जी., गुमा जे.में,ए डेमोग्राफिक पर्सपक्टिव ऑन जेंडर, फैमिली एंड हेल्थ इन यूरोप (पीपी. 41–64)। स्प्रिंगर।

❖◆❖